रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 714] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 2013/चैत्र 1, 1935

No. 714] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 2013/CHAITRA 1, 1935

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2013

इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012 के कार्यान्वयन से संबंधित

विषय : "इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012" को लागू करने की तारीख का बढ़ाया जाना ।

का.आ. 822(अ).— जैसा कि भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 15 इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए "इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012" जारी किया है (जिसे यहां आगे आदेश कहा जाएगा), और जैसा कि इस आदेश के अनुपालन के संबंध में कुछ मुद्दे उठाए गए हैं, और जैसा कि इन मुद्दों पर सभी पणधारकों के साथ चर्चा की गयी है और जैसा कि इन मुद्दों का समाधान करना है तथा आदेश का सुचारू रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों की सुविधा के मध्य नजर संसाधनों को बनाए रखने की आवश्यकता है, के आलोक में इस आदेश के क्रम में निम्नलिखित अधिसूचना जारी की जाती है ।

1. विस्तार की तारीख
   "इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012" को लागू किए जाने की तारीख 3 जुलाई, 2013 तक बढ़ी हुई मानी जाए।

2. पूर्ववर्ती उत्पादों का निर्धारण
   आदेश के लागू होने की अधिसूचित तारीख 3 जुलाई, 2013 से पहले विनिर्मित/आयात किए गए सभी उत्पाद इस आदेश के प्रावधानों में शामिल नही होंगे।

3. "इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012" का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माण इकाइयों के लिए 4 जुलाई, 2013 से तीन माह की अतिरिक्त अवधि निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन उपलबध होगी :

विनिर्माण इकाइयां

क. जो 3 जुलाई, 2013 से पहले भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से पूर्ण परीक्षण रिपोर्ट के साथ भारतीय मानक ब्यूरो से पंजीकरण के लिए अनुरोध करतीं हैं, को इस आदेश का पूर्णरूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 3 अक्टूबर, 2013 तक का समय दिया जाता है।

ख. जो 3 जुलाई, 2013 से पहले भारतीय मानक ब्यूरो से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को अपने उत्पाद परीक्षण हेतु प्रस्तुत करती हैं परन्तु परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हैं, से इस अधिसूचना के अनुबंध-क में विनिर्दिष्ट दरों से प्रतिमाह आधार पर उस समयावधि के लिए शुल्क वसूल किया जाएगा जब तक कि वे पूर्ण परीक्षण रिपोर्टों के साथ भारतीय मानक ब्यूरो को पंजीयन के लिए अनुरोध प्रस्तुत नही करते हैं।

ग. जो 3 जुलाई, 2013 से पहले भारतीय मानक ब्यूरो से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को अपने उत्पाद परीक्षण हेतु प्रस्तुत नही करती हैं, से इस अधिसूचना के अनुबंध-क में विनिर्दिष्ट दरों से तीन गुना अधिक प्रतिमाह आधार पर उस समयावधि के लिए शुल्क वसूल किया जाएगा जब तक कि वे पूर्ण परीक्षण रिपोर्टों के साथ भारतीय मानक ब्यूरो को पंजीयन के लिए अनुरोध प्रस्तुत नही करते हैं।

4. परन्तु आदेश की अनुसूचि में विर्निदिष्ट ऐसे उत्पादों के लिए ही डीइआईटीवाई द्वारा जारी विशिष्ट अनंतिम स्वीकृति आदेशों के सापेक्ष 3जुलाई, 2013 के पश्चात यह विस्तारित अवधि उपलबध होगी और ऐसे विस्तार के अनुरोध हेतु संगत आवेदनों पर विचार किया जाएगा।

5. बशर्ते कि ऐसे विस्तार के लिए आवेदन के साथ उपर्युक्त खंड (3) में किए गए प्रावधान और अनुपालन चरण के लिए संगत साक्ष्य उनके साथ संलग्न किए गए हों।

6. इसके अलावा, यह कि उपर्युक्त खंड (3) में उल्लिखित शुल्क "वेतन एवं लेखा अधिकारी, डीइआईटी वाई" के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश द्वारा अग्रिम तौर पर विधिवत प्रस्तुत की जाए।

7. परन्तु यह कि अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार परिकलित शुल्क का विरोध नही किया जाएगा और यह वापस नही की जाएगी।

8. यह कि ऐसा शुल्क प्रतिमाह आधार पर यूनिटों में परिकलित किया जाएगा और इसके लिए अग्रिम तौर पर अनुरोध किया जा सकता है तथा इस उद्देश्य के लिए किसी माह के भाग को पूरा एक माह माना जाएगा।

9. विनिर्माण यूनिटों के अलावा ऐसे विस्तार के लिए अनुरोध विदेशों में अवस्थित विनिर्माण इकाइयों के भारत में संपर्क अधिकारी अथवा शाखा कार्यालय द्वारा किया जा सकता है और विस्तार संबंधी आदेश विनिर्माण इकाइयों के नाम से जारी किए जाएगें परन्तु भारत में उनके संपर्क अधिकारी अथवा शाखा कार्यालय को सौंपे जाएगें।

10. उपर्युक्त खंड (3) में उल्लिखित विस्तार के लिए अनुरोध डीइआईटीवाई, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, नई दिल्ली-110003 में अवस्थित "नोडल अधिकारी, ईएसडीएम (मानक)-सीआर विस्तार" को संबोधित किए जाएगें।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 8(14)/2006-आईपीएचडब्ल्यू वॉल्यूम IV]

डॉ. अजय कुमार, संयुक्त सचिव

अनुबंध-क

क्रम सं.	उत्पाद	भारतीय मानक संख्या	वसूल किया जाने वाला शुल्क	
			आईएमआर	अमरीकी डॉलर
1.	इलेक्ट्रॉनिक खेल (वीडियो)	आईएस 616:2010	50,000	1000
2.	लैपटॉप / नोटबुक / टैबलेट	आईएस 13252:2010	1,00,000	2000
3.	32" एवं इससे बड़े प्लाज्मा / एलसीडी / एलईडी टेलीविजन	आईएस 616:2010	50,000	1000
4.	200 वाट एवं इससे अधिक इनपुट क्षमतावाले बिल्ट इन एम्पलीफायर के साथ ऑप्टिकल डिस्क प्लेयर	आईएस 616:2010	50,000	1000
5.	माइक्रोवेव ओवन	आईएस 302-2-25:1994	50,000	1000
6.	विजुअल डिस्प्ले यूनिट, 32" एवं इससे बड़े आकार के वीडियो मॉनिटर्स	आईएस 13252:2010	50,000	1000
7.	प्रिंटर, प्लॉटर	आईएस 13252:2010	A4 आकार तक = 50,000	1000
			A4 आकार से ऊपर = 1,00,000	2000
8.	स्कैनर	आईएस 13252:2010	A4 आकार तक = 50,000	1000
			A4 आकार से ऊपर 1,00,000 =	2000
9.	वायरलेस की बोर्ड	आईएस 13252:2010	25,000	500
10.	टेलीफोन से उत्तर देने वाली मशीन	आईएस 13252:2010	50,000	1000
11.	2000 वाट एवं इससे अधिक क्षमता वाले इनपुट पावर एम्पलीफायर	आईएस 616:2010	1,00,000	2000
12.	200 वाट एवं इससे अधिक क्षमता वाले इनपुट पावर वाले इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल प्रणाली	आईएस 616:2010	50,000	1000
13.	मेन पावर वाली इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ	आईएस 302-2:26:1994	25,000	500
14.	सेट-टॉप बॉक्स	आईएस 13252:2010	50,000	1000
15.	ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन	आईएस 13252:2010	1,00,000	2000
उपर्युक्त मॉडलों से संबंधित उत्पादों की श्रृंखला के लिए फीस उपर्युक्त दर के 1.5 गुना आधार पर लागू होगी ।				

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2013

Concerning Implementation of
"Electronics and IT Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2012".

Subject : Extension in date of coming into effect of the "Electronics and IT Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2012".

S.O. 822(E).—Whereas Govt. of India, Deity has issued the "Electronics and IT Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2012" (here-in-after called the "Order") for 15 electronic items, and whereas certain issues have arisen with regard to compliance to the Order, and Whereas these issues have been discussed with all stakeholders and Whereas to address these issues, and to sustain the resources to facilitate the industry for smooth implementation of the Order, the following notification is issued in continuation of the Order.

1. Extension in date

   The date of coming into force of the "Electronics and IT Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2012" stands extended to 3rd July, 2013.

2. Grandfathering of Products

   All products manufactured/imported before the notified date of coming into effect of the Order i.e. 3rd July, 2013 shall not be covered by the provisions of the Order.

3. An additional period of three months for the manufacturing units to comply fully with "Electronics and IT Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2012" shall be available w.e.f. 4th July, 2013 subject to the following:

   Manufacturing Units:

   a. which submit the request for registration to Bureau of Indian Standards (BIS) with complete test reports from BIS recognized labs before July 3, 2013 are allowed such an extension of time till October 3, 2013 for full compliance with the Order.
   b. which submit the products to the BIS recognized labs before July 3, 2013, but test reports are not available, be levied a fee on a per month basis at the

rates specified in Annexure A to this notification, for such period till they submit request for registration to BIS with complete test reports.

c. which do not submit the products to the BIS recognized labs before July 3, 2013, be levied a fee on a per month basis at 3 times the rates specified in Annexure A to this notification, for such period till they submit their samples for testing and thereafter with a fee on a per month basis at the rates specified in Annexure A to this notification for such period till they submit request for registration to BIS with complete test reports.

4. Provided that such extension beyond 3rd July, 2013, shall only be available against specific provisional clearance orders issued by DeitY for such products as specified in the schedule to the Order and requested for in the respective applications seeking such extension.
5. Provided that the applications for such extension are duly supported by evidences for the stage of compliance and provisions in clause(3) above
6. Provided further that the fee as stated in Clause (3) above is duly submitted in advance by Demand Draft / Pay Order in favor of "Pay and Accounts Officer, DeitY"
7. Provided that the fee so calculated by the notified authority shall remain uncontested and non-refundable
8. Provided that such fee shall be calculated in units of per month basis and request could be made in advance and for this purpose part of a month shall be treated as a full month.
9. Besides manufacturing units, request for such extension could be made by liaison office or branch office located in India of the manufacturing units located abroad and extension orders shall be issued in the name of manufacturing units but handed over to the liaison office or branch office located in India.
10. Request for extension as mentioned in para 3 above, shall be addressed to " The Nodal Officer, ESDM (Standards) – CR Extension" located at DeitY, Electronics Niketan, New Delhi -110003

This Notification will come into immediate effect.

[F. No. 8(14)/2006-IPHW Vol. IV]

Dr. AJAY KUMAR, Jt. Secy.

ANNEXURE-A

Sl. No.	Product	Indian Standard Number	Fee to be charged	
			INR	USD
1.	Electronic Games (Video)	IS 616:2010	50,000	1000
2.	Laptop/Notebook/Tablets	IS 13252:2010	1,00,000	2000
3.	Plasma/LCD/LED Television of screen size 32" or above	IS 616:2010	50,000	1000
4.	Optical disc players with built in amplifiers of input power 200w and above	IS 616:2010	50,000	1000
5.	Microwave Ovens	IS 302-2-25:1994	50,000	1000
6.	VDUs, Video Monitors of screen size 32" or above	IS 13252:2010	50,000	1000
7.	Printers, Plotters	IS 13252:2010	Up to A4 size = 50,000	1000
			Above A4 size = 1,00,000	2000
8.	Scanners	IS 13252:2010	Up to A4 size = 50,000	1000
			Above A4 size = 1,00,000	2000
9.	Wireless Keyboards	IS 13252:2010	25,000	500
10.	Telephone Answering machines	IS 13252:2010	50,000	1000
11.	Amplifiers with input power 2000w and above	IS 616:2010	1,00,000	2000
12.	Electronic Musical Systems with input power 200w and above	IS 616:2010	50,000	1000
13.	Electronic clocks with Mains Powers	IS 302-2:26:1994	25,000	500
14.	Set Top Box	IS 13252:2010	50,000	1000
15.	Automatic Data Processing Machine	IS 13252:2010	1,00,000	2000

For series of products concerning above models, the fees would be applied at 1.5 times of the above rates.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.